अध्याय IX
निष्कर्ष

9.1 भारत सरकार द्वारा कल्पित वास्तविक देयता भारत के लोक लेखों में लक्षित है। काल्पनिक ऋण (एक परिसम्पत्ति) भारत की संचित निधि में अंकित है। ₹ 9000 करोड़ के संचित एनपीए के कारण हानि से आईडीबीआई को बचाने की आवश्यकता के कारण देयता को अपनाने के लिए ट्रस्ट के रूप में एसपीवी के सृजन, उसके लिए बजटिंग और उसके लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रक्रियाओं को 2004-05 के बजट में स्पष्ट नही किया गया था जिससे लेन-देन की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

9.2 लगभग नौ वर्ष की अवधि से अधिक, ट्रस्ट ₹ 9000 करोड़ में से ₹ 4,071 करोड़ की वसूली करने में सक्षम था। इसने ₹ 2,933.12 करोड़ के एनएलओ के प्रति ₹ 2,561.49 करोड़ के लिए 631 मामलों में से 319 मामलों का निपटान किया है। निपटान किए गए 319 मामलों में से, 150 मामलों में ₹ 915.17 करोड़ की कम उगाही हुई तथा शेष 169 मामलों में एनएनओ के अतिरिक्त ₹ 543.54 करोड़ की अतिरिक्त उगाही हुई। 101 समाधित मामलों में, इसने अभी तक ₹ 2,878.29 करोड़ के एनएलओ के प्रति ₹ 1,220.49 करोड़ (₹ 63.47 करोड़ के शेयर सहित) की वसूली की है। असमाधित श्रेणी में, ₹ 625.32 करोड़ के एनएलओ के साथ 79 मामलों में ट्रस्ट किसी राशि की वसूली नहीं कर सका तथा शेष 132 मामलों में से ₹ 2,380.37 करोड़ के एनएलओ के प्रति केवल ₹ 396.75 करोड़ की वसूली कर सका। इस प्रकार, ट्रस्ट स्ट्रेस्ड परिसम्पत्ति में फंसी राशि की वसूली करने के अपने उद्देश्य को केवल आंशिक रूप में प्राप्त कर सका। भारत सरकार द्वारा ₹ 4,941 करोड़ की राशि को भुनाया जाना अभी बाकी था।

9.3 अब शेष बचे मामले जटिल है तथा शेष राशि की वसूली की अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। यह हाल के वर्षों के दौरान वसूली की घटती प्रवृति से स्पष्ट है। कुल उगाही राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की वसूली 2005-06 से 2007-08 तक के तीन वर्षों मे की गई।

9.4 उधारकर्ताओं द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी की प्रणाली के मामलों की अधिक संख्या को पूर्ण रूप से अप्रभावित साबित किया। सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नहीं था इस प्रकार, इस गारंटी को लागू करना निरर्थक रहा।

9.5 ट्रस्ट काफी हद तक आईडीबीआई स्टॉफ तथा अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है। तीन मामलों जिसमें आईडीबीआई ने प्राप्त किया तथा ट्रस्ट ने गँवाया, में अग्राहय विनिमय के अलावा, ट्रस्ट के प्रबंधन के अनुसार "रिवोल्विंग डोर" जैसी नीति ने वसूली प्रयासो के प्रबंधन के मामले को उठाया।

9.6 मामलों की कठिन प्रकृति को देखते हुए (कुछ बीआईएफआर को भेजे गए है), भारत सरकार के ऋण के पुन: भुगतान के लिए अंतिम वसूली पर्याप्त नहीं होगी। तथापि, भारत सरकार द्वारा 2024 तक आईडीबीआई को विशेष प्रतिभूतियों को पूर्ण रूप से छुडवा कर भुगतान करना होगा। इसलिए अपरिहार्य वित्तीय खर्च की इन विशेष प्रतिभूतियों के भाग को छुडवाने के लिए भारत सरकार की सम्भावना स्वाभाविक है। अंतिम विश्लेषण के रूप में यह निजी कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों जिन्होंने करदाताओं की लागत पर भारी मात्रा में ऋण लिया था, को लाभ देगा।

नई दिल्ली
दिनांक : 15 मार्च 2014

(उषा शंकर)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 18 मार्च 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक